संख्या-62/2016/3105/60-2-16-2/3(3)/12

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 04 अक्टूबर, 2016

विषय – अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुपूरक पुष्टाहार (राज्य योजना) हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1037/बा0वि0परि0/लेखा/2016-17, दिनांक 27.09.2016 के संदर्भ में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 9,80,00,00 हजार (रूपये नौ अरब अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु रूपये 2,45,00,00,000/- (रूपये दो अरब पैंतालीस करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-26/2016/1094/60-2-16-2/3(3)/12, दिनांक 28 अप्रैल, 2016, द्वितीय त्रैमास की मांग के सापेक्ष रूपये 1,22,50,00,000/- (रूपये एक अरब बाइस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-48/2016/1591/60-2-16-2/3(3)/12, दिनांक 13 जुलाई, 2016 एवं द्वितीय त्रैमास की मांग के सापेक्ष रूपये 1,16,77,68,000/- (रूपये एक अरब सोलह करोड़ सतहत्तर लाख अड्सठ हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-58/2016/3011/60-2-16-2/3(3)/12, दिनांक 22 सितम्बर, 2016 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 9,80,00,00 हजार (रूपये नौ अरब अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रूपये 2,45,00,00,000/- (रूपये दो अरब पैंतालीस करोड़ मात्र) की धनराशि की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से निर्धारित प्रपत्र पर भारत सरकार/शासन को प्रस्तुत करते हुए अपेक्षित केन्द्रांश की प्राप्ति समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से एकमुश्त न करके प्रत्येक माह की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर किया जायेगा।

(5) यह धनराशि प्राप्त परिव्यय की सीमा में ही समाहित होगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय की फेजिंग कर ली जाय और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही एस0सी0एस0पी0 की गाइड लाइन के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाये।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इससे इतर धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

(8) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन तथा वितरित की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-सीडी-।।-14/57/2015-सीडी-।। दिनांक 27.04.2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-आयोजनागत-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के.50/रा.50 के.+रा.) 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-62/2016/3105(1)/60-2-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (बजट)अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1।
7. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गया प्रसाद कमल)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in